राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 892वी बैठक दिनांक 23.08.2025 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 892वी बैठक दिनांक 23.08.2025 को श्री शिव नारायण सिंह चौहान, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एप्को, पर्यावरण परिसर, भोपाल में निम्नानुसार सदस्यों की उपस्थिति में सम्पन्न हुई :—

1. डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री. दीपक आर्य, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:—

क्र	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	जिला	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित/ परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
1.	6135/2019	1(a)	धार	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
2.	9380/2022	1(a)	सीहोर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण जारी किया जाये।
3.	670/2012	1(a)	मैहर	चूनापत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
4.	8308/2001	1(a)	मैहर	चूनापत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
5.	250/2008	1(a)	मैहर	चूनापत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
6.	619/2010	1(a)	मैहर	चूनापत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
7.	669/2010	1(a)	मैहर	चूनापत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
8.	498/2009	1(a)	मैहर	चूनापत्थर, लेट्राईट, आकर एवं व्हाईट क्ले खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
9.	P2/1140/2025	1(a)	सतना	चूनापत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
10.	P2/634/2024	1(a)	टीकमगढ़	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

11.	9417 / 2022	1(a)	ग्वालियर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन (Amalgamation)	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन (Amalgamation) जारी किया जाये।
12.	8192 / 2021	1(a)	धार	पत्थर एवं मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
13.	8177 / 2021	1(a)	टीकमगढ़	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण किया जाये।
14.	7858 / 2020	1(a)	निवाड़ी	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
15.	2813 / 2015	1(a)	मंदसौर	लेट्राईट खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण किया जाये।
16.	2146 / 2015	1(a)	छतरपुर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	निरस्त
17.	2795 / 2015	1(a)	छतरपुर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
18.	3258 / 2015	1(a)	सागर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
19.	P2 / 696 / 2024	1(a)	बालाघाट	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अनंशंसित नही	निरस्त
20.	P2 / 683 / 2024	1(a)	बालाघाट	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 892वी बैठक दिनांक 23.08.2025 का कार्यवाही विवरण

1. **Case No. – 6135/2019** Prior Environment Clearance for Stone Quarry (opencast semi mechanized method) in an area of 2.00ha. for production capacity of 19,400 cum per annum at KhasraNo. 387/1/1 at Village - Dotrya, Tehsil - Badnawar, Dist. Dhar (MP) by Shri Avinash Patel, Petlawad, Dist. Jhabua, MP –457773 Regarding Transfer of EC in the name of M/s Mahi Stone Crusher & Mines, 29, Swastik Nagar, Indore (MP)

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

1. पूर्व परियोजना प्रस्तावक का नोटराईज्ड अनापत्ति की प्रति प्रस्तुत नही की गई है।
2. नवीन परियोजना प्रस्तावक का नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति प्रस्तुत नही की गई है।
3. प्रकिया शुल्क की पावती प्रस्तुत नही की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु 01 वर्ष के पश्चात् आवेदन किया गया है एवं उपरोक्त बिन्दु कमांक 1 से 3 तक की जानकारी प्रस्तुत नही की गई है। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत बिन्दु कमांक 1 से 3 तक की जानकारी SEAC द्वारा परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त करने एवं भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 03.11.2023 एवं 19.02.2025 के परिपालन में प्रकरण परीक्षण एवं अभिमत हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

2. प्रस्ताव क SIA/MP/MIN/529343/2025 प्रकरण क्र. 9380/2022 – परियोजना प्रस्तावक श्री जफर मोहम्मद आत्मज श्री अज़गर मोहम्मद, निवासी 502, सी ब्लॉक, रिगलिया हाईट्स, कोहेफिजा, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 16815 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.630 हेक्टेयर, खसरा 5, 6/1, 164/2, ग्राम तकिया, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर (म.प्र.) को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को नवीन परियोजना प्रस्तावक श्री नरेन्द्र कुमार पाटीदार, निवासी– माकान न. 36 हरिजन मोहल्ला ग्राम पो. झरखेड़ा जिला सीहोर (म.प्र.) के नाम पर हस्तांतरण करने हेतु आवेदन बावत्।

नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :–

I. पूर्व परियोजना प्रस्तावक का अनापत्ति, नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति ।
II. नवीन परियोजना प्रस्तावक का नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति ।
III. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांरण आदेश की प्रति।
IV. एसईआईएए द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति ।
V. पूर्व पर्यावरण स्वीकृति का अनुपालन प्रतिवेदन की प्रति ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा–11) के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेजों के परीक्षण एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि पूर्व परियोजना प्रस्तावक श्री जफर मोहम्मद आत्मज श्री अज़गर मोहम्मद, निवासी 502, सी ब्लॉक, रिगलिया हाईट्स, कोहेफिजा, जिला भोपाल (म.प्र.) के नाम पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 16815 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.630 हेक्टेयर, खसरा 5, 6/1, 164/2, ग्राम तकिया, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर (म.प्र.) की हस्तांतरित पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति को नवीन परियोजना प्रस्तावक श्री नरेन्द्र कुमार पाटीदार, निवासी– माकान न. 36 हरिजन मोहल्ला ग्राम पो. झरखेड़ा जिला सीहोर (म.प्र.) के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तो के साथ हस्तांतरित किया जाता है :–

I. उपरोक्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 09.12.2022 में निहित विशिष्ट एवं साधारण समस्त शर्तें यथावत रहेगी तथा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता 01.03.2027 तक वैध मान्य रहेगी।

II. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त विशिष्ट एवं साधारण शर्तों अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना 2006 एवं कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 14.06.2022 में निर्धारित प्रावधान एवं प्रक्रिया अनुसार शर्तों का छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से परिवेश पोर्टल अपलोड किया जाये एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी प्रेषित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

III. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

तदानुसार सर्वसंबंधितो को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

3. **Case No. 670/2012:** Prior Environmental Clearance for Barahia Limestone Mine (Opencast fully mechanized method) in an area of 7.102 ha. for production capacity 30,000 TPA at Village– Barahia, Teh– Maihar, Dist–Stana (MP) by Shri. Pawan Kumar Ahluwalia, M.D., M/s K.J. S. Cement Ltd., Near Railway Crossing N.H.-7 Maihar, Distt. – Satna (M.P.) – 485771 Regarding Transfer of EC in the name of KJS CEMENT (I) LIMITED, NH-7, Rajnagar, Rewa Road, Village Amilia, District Maihar-485771, (M.P.)

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु 01 वर्ष के पश्चात् आवेदन किया गया है। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 03.11.2023 एवं 19.02.2025 के परिपालन में प्रकरण परीक्षण एवं अभिमत हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

4. **Case No. 8308/ 2021:** Prior Environment Clearance for Limestone Quarry in an area of 23.230 ha. (Limestone - 560000 Tonne per annum, OB & Waste - 60000 Tonne per annum) (Khasra No. 1024, 1025, 1026, 1027/1, 1027/2, 1028, 1029, 1030, 1033, 553, 554, 555, 556, 557/1, 557/2, 558, 559, 560, 561, 624), Village - Bhadanpur South Patti, Tehsil - Maihar, Dist. Satna (MP) by M/s KJS Cement Ltd, NH-7 Road, Rajnagar, Maihar, Dist. Satna, MP – 485771.Regarding Transfer of EC in the name of KJS CEMENT (I) LIMITED, NH-7, Rajnagar, Rewa Road, Village Amilia, District Maihar-485771, Madhya Pradesh

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण **(SEIAA)** द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु 01 वर्ष के पश्चात् आवेदन किया गया है। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 03.11.2023 एवं 19.02.2025 के परिपालन में प्रकरण परीक्षण एवं अभिमत हेतु **SEAC** को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

5. **Case No. 250/2008:** Prior Environmental Clearance transferred for Limestone Mine in an area of 9.008 ha for production capacity of 40000 MTPA at Khasra No. 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1074, 1075, 1076, 1080 at Village - Bhatia, Tehsil - Maihar, District - Satna (MP) to M/s KJS Cement Ltd., Rajnagar, Rewa Road, Maihar District Satna (MP).- Regarding transfer of EC in the name of KJS CEMENT (I) LIMITED, NH-7, Rajnagar, Rewa Road, Village Amilia, District Maihar-485771, Madhya Pradesh

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु 01 वर्ष के पश्चात् आवेदन किया गया है। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 03.11.2023 एवं 19.02.2025 के परिपालन में प्रकरण परीक्षण एवं अभिमत हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

6. **Case No. 619/2010:** Prior Environmental Clearance for Limestone mine in an area of 10.431 ha for production capacity of 1.00 lac TPA at Village Bhatia, Tehsil Maihar, District Satna by M/s KJS Cement Ltd., Shri Pawan Kumar Ahluwalia, MD, Village–Amilia, P.O. & Teh. - Maihar, Distt- Satna (M.P) **Regarding Transfer of EC in the name of KJS CEMENT (I) LIMITED, NH-7, Rajnagar, Rewa Road, Village Amilia, District Maihar-485771, Madhya Pradesh.**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु 01 वर्ष के पश्चात् आवेदन किया गया है। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 03.11.2023 एवं 19.02.2025 के परिपालन में प्रकरण परीक्षण एवं अभिमत हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

7. **Case No. 669/2012**, Prior Environmental Clearance for Limestone mine in an area of 45.888 ha for production capacity of 5.0 lac TPA at Village Bhatiya, Tehsil Maihar, Distt. Satna, M. P. by M/s KJS Cement Ltd., Shri Pawan Kumar Ahluwalia (M.D.), Near Railway Crossing, NH-7, Maihar District Satna (MP) – 485771. EC Transfer Regarding Transfer of EC in the name of KJS CEMENT (I) LIMITED, NH-7, Rajnagar, Rewa Road, Village Amilia, District Maihar-485771, Madhya Pradesh.
राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण **(SEIAA)** द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु **01** वर्ष के पश्चात् आवेदन किया गया है। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक **03.11.2023** एवं **19.02.2025** के परिपालन में प्रकरण परीक्षण एवं अभिमत हेतु **SEAC** को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

8. **Case No. 498/2009**: Prior Environmental Clearance transferred for Deori Limestone, Laterite, Ochre & White Clay mine in an area of 23.123 ha. for production capacity of 50000 TPA at Khasra Nos. (as per lease deed) at Village Deori, Tehsil-Maihar, Distt-Satna M.P. to M/s KJS Cement Ltd., Village–Amilia, P.O. & Teh. - Maihar, Distt- Satna (M.P) EC Transfer Regarding Transfer of EC in the name of KJS CEMENT (I) LIMITED, NH-7, Rajnagar, Rewa Road, Village Amilia, District Maihar-485771, Madhya Pradesh
राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु 01 वर्ष के पश्चात् आवेदन किया गया है। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 03.11.2023 एवं 19.02.2025 के परिपालन में प्रकरण परीक्षण एवं अभिमत हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

9. **Proposal No. SIA/MP/MIN/461943/2024 प्रकरण क्रमांक P2/1140/2025** – पूर्व परियोजना प्रस्तावक मेसर्स प्रिज्म सीमेन्ट लि., संयुक्त जनरल मैनेजर (माईन) श्री यू.के. दास, राजदीप रीवा रोड़, जिला सतना (म.प्र.) द्वारा चूनापत्थर खदान, रकबा 66.434 हे. (माईनेबिल एरिया 36.434) उत्पादन क्षमता 0.3 मिलियन टन प्रतिवर्ष, ग्राम मनकहरी, तहसील रामपुर बघेलान, जिला सतना (म.प्र.) को जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति को नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स प्रिज्म जॉनसन लि., वरिष्ठ जनरल मैनेजर (माईन) श्री चन्द्र शेखर पंडित, ग्राम मनकहरी, तहसील रामपुर बघेलान, जिला सतना (म.प्र.) के नाम पर हस्तांतरण ।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

1. पूर्व परियोजना प्रस्तावक का नोटराईज्ड अनापत्ति की प्रति प्रस्तुत नही की गई है।
2. नवीन परियोजना प्रस्तावक का नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति प्रस्तुत नही की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु 01 वर्ष के पश्चात् आवेदन किया गया है एवं उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 1 से 2 तक की जानकारी प्रस्तुत नही की गई है। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत बिन्दु क्रमांक 1 से 2 तक की जानकारी SEAC द्वारा परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त करने एवं भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 03.11.2023 एवं 19.02.2025 के परिपालन में प्रकरण परीक्षण एवं अभिमत हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

10. प्रकरण क्र. P2/634/2024 परियोजना प्रस्तावक श्री रघुवीर पुष्पकर, निवासी– ग्राम मवाई, पो. मवाई, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) द्वारा पत्थर बोल्डर, खण्डा एवं एम–सैण्ड़ खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 10002 घनमीटर प्रतिवर्ष (खण्डा – 1000 घनमीटर प्रतिवर्ष, बोल्डर 6002 घनमीटर प्रतिवर्ष, एवं एम–सैण्ड़ – 3000 घनमीटर प्रतिवर्ष) रकबा 1.00 हेक्टेयर, खसरा 3330/1, 3330/3 ग्राम मवाईखास, तहसील व जिला टीकमगढ (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 752 वी बैठक दिनांक 16.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–**ए**) सहित प्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 859 वी बैठक दिनांक 05.06.2024 प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

SEAC की 752 वी बैठक दिनांक 16.05.2024 में की गई अनुशंसा अनुसार खदान क्षेत्र में 50 पेड स्थित है, 30 पेड काटे जायेगें एवं काटे जाने वाले वृक्षो के एवज में 300 पौधे के लगाये जायेगे।

अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (कम से कम 04 फिट उंचाई तक के आम के पौधों का रोपण) के लक्ष्य को पूर्ण कर स्थल के फोटोग्राफ मय अक्षांश देशांश सहित एवं साथ ही वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध जल स्त्रोत तथा प्रतिदिन जल की उपलब्ध मात्रा की जानकारी 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये। तबतक प्रकरण को Delist किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्णय के परिपालन में ADS के माध्यम से दिनांक 04/04/2025 को क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की जानकारी स्थल के फोटोग्राफ मय अक्षांश देशांश सहित प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत जानकार को मान्य करतें हुये राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुए एवं SEAC की 752 वी बैठक दिनांक 16.05.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म म.प्र. का पत्र कमांक 16269 दिनांक 21.12.2023 के अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 20.12.2033 तक वैध मान्य रहेगी।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

(ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन संक्रियाऐं प्रारंभ करने के पूर्व खनन क्षेत्र में स्थित वृक्षों में से काटे जाने वाले 30 वृक्षों के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के तहत रोपित 300 पौधों का अनिवार्यतः संरक्षण किया जाये एवं सुरक्षा हेतु ट्री–गार्ड लगाये जायेंगे। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

11. प्रकरण क्र. 9417/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री सुरेन्द्र सिंह परमार आत्मज श्री लक्ष्मीनारायण परमार निवासी– गीतांजली भवन के पास, नया आमपुरा, जिला मुरैना **(म.प्र.) – 476001** द्वारा पत्थर एवं एम. सैण्ड खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), **उत्पादन क्षमता पत्थर 1,97,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, एवं एम. सेण्ड 49000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2201/2/1, 2201/1, 2202 एवं खसरा नम्बर 2186, 2187, 2198, 2199, रकबा 5.244 हेक्टेयर, ग्राम – बिल्हेटी, तहसील मुरार, जिला ग्वालियर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।** (Amalgamation Case)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 755 वी बैठक दिनांक 21.05.**2024 एवं 778वी बैठक दिनांक 25.03.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो सहित **Revalidation of Prior Environment Clearance in lieu of Amalgamation** जारी किये जाने हेतु निम्नानुसार अनुशंसा की गई है।

"..........During presentation PP submitted that this is a case of amalgamation of two stone Quarry for which EC were issued with following details:

- *EC Identification No. - EC22B001MP163430 File No. - 8567/2021 Date of Issue EC - 24/03/2022 (Area-1.612ha.)*
- *EC Identification No. - EC23B001MP132943 File No. - 9417/2022 Date of Issue EC - 23/06/2023- (Area-3.632ha.).*

PP submitted that they have submitted an application for amend the EC for amalgamated lease area with production. The project "Bilheti Stone Mine for Making Gitti and M- sand through Crusher having lease area of 5.244 ha and production capacity of with production 197000cum/year stone and 49000 cum/year M sand at Khasra No: - 2188,2196 (Govt land), 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2197, 2201/2/1, 2201/1, 2202 (pvt land), 2186, 2187, 2198, 2199 (Pvt. land) , near village- Bilheti, Tehsil-Morar, District-Gwalior, State-Madhya Pradesh.
For amalgamation of both the lease area under latter issued by Collector Office, District Gwalior, letter no. 325 dated 29.02.2023wherein following details are mentioned:

Sr. no.	*Name of Leasee*	*Survey no./ Khasra no.*	*Area*	*LoI*	*Lease Period*
1	*Shri Surendra Singh Parmar*	*2188, 2196 (Govt land), 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2197, 2201/2/1, 2201/1, 2202 (Pvt. land), 2186, 2187, 2198, 2199 (Pvt. land)*	*3.632 ha.*	*07.08.2023*	*07.09.2023 to 06.09.33*

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

2	*Shri Surendra Singh Parmar*	*2186, 2187, 2198, 2199*	*1.612 ha.*	*08.04.2023*	*28.06.2021 to 27.06.31*

समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि कलेक्टर कार्यालय, जिला–ग्वालियर के पत्र क्रमांक 325 दिनांक 29/02/2024 के द्वारा दोनो खदानों के समामेलन मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के नियम 23 में प्रावधानित अनुसार " मंजूरी अधिकारी खनिज विकास के हित में तथा लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों के साथ किसी पट्टेदार द्वारा धारित 02 या अधिक आसन्न पट्टों के अनुज्ञा दे सकेगा परन्तु समामेलन किये जाने वाले पट्टों की अवधि उस पट्टों के साथ सहसामापन योग्य होगी, जिस पट्टे की अवधि पहले पूरी होगी। " तद्ानुसार पट्टा समामेलन की स्थिति में समामेलित पट्टे की अवधि दिनांक 28/06/2021 से 27/06/2031 तक मान्य होगी।

दोनो खदानों के समामेलन मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के नियम 23 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत् आवेदक/पट्टेदार के पक्ष में उपरोक्त स्वीकृत दोनो आसन्न उत्खनिपट्टों का एतद् द्वारा समामेलन निम्नांकित शर्तों के अधीन किया जाता है :–

1. *पट्टा समामेलन की स्थिति में समामेलित पट्टे की अवधि दिनांक 28/06/2021 से 27/06/2031 तक मान्य होगी।*
2. *नवीन संशोधित अनुमोदित खनन योजना प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।*
3. *आसन्न पट्टों की कुल उत्पादन क्षमता से अधिक क्षमता वृद्धि होने पर सिया भोपाल से पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगी।*
4. *प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नवीन सीटीओ प्राप्त करना अनिवार्य होगा।*
5. *पूरक अनुबंध संपादित करना अनिवार्य होगा।*

अतः समिति ने चर्चा उपरान्त निर्णय लिया कि दोनो आसन्न उत्खनिपट्टों के संशोधन/समामेलन हेतु जारी पर्यावरणीय स्वीकृति क्रमांक EC Identification No. - EC22B001MP163430 File No. - 8567/2021 Date of Issue EC - 24/03/2022 (Area-1.612ha.) तथा EC Identification No. - EC23B001MP132943 File No. - 9417/2022 Date of Issue EC - 23/06/2023- (Area-3.632ha.) की लीज अवधि क्रमशः दिनांक 20.01.2031 एवं दिनांक 21.08.2032 तक है, अतः संशोधन/समामेलन पर्यावरण स्वीकृति की अवधि दिनांक 20.01.2031 तक वैध होगी एवं पूर्व में जारी दोनो आसन्न उत्खनिपट्टों केपर्यावरण स्वीकृति स्वतः शून्य/निरस्त मानी जावेगी। संशोधन/समामेलन पर्यावरण स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन जारी करने की अनुशंसा की जाती है:

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंद्रा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 755 वी बैठक दिनांक 21.05.2024 एवं 778वी बैठक दिनांक 25.03.2025 की विशिष्ट शर्तों सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ **Revalidation of Prior Environment Clearance in lieu of Amalgamation** प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया तथा प्रकरण क्र. 8567/2021 में जारी पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक 24.03.2022 एवं प्रकरण क्र. 9417/2022 में जारी पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक 23.06.2023 में निहित समस्त शर्तें एवं वैधता यथावत रहेगी :–

(i) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(ii) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

12. Case No 8192/2021, Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 1.0 ha. for production capacity of Stone - 11640 cum per annum, Murrum & Overburden - 2400 cum per annum at Khasra No. 636, 645 at Village - Margaon, Tehsil - Sardarpur, Dist.- Dhar (MP) by Shri Mahendra Vyas S/o Shri Manglakant Vyas, R/o, Village & Tehsil -Sardarpur, Dist. Dhar, (MP) Regarding Transfer of EC in the name of sarifbhai a Nandasaniya, Jaswantgarh Banaskantha Tehsil Data District Palanpur (Guj)

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

1. पूर्व परियोजना प्रस्तावक का नोटराईज्ड अनापत्ति की प्रति प्रस्तुत नही की गई है।
2. नवीन परियोजना प्रस्तावक का नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति प्रस्तुत नही की गई है।
3. प्रकिया शुल्क की पावती प्रस्तुत नही की गई है।
4. पूर्व पर्यावरण स्वीकृति का अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नही किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु बिन्दु कमांक 1 से 3 तक की जानकारी प्रस्तुत नही की गई है जो कि एक प्रारंभिक दस्तावेज है। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण परीक्षण एवं अभिमत हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) **अध्यक्ष**

13. **Case No. 8177/2021** Prior Environmental Clearance for Stone Quarry (Opencast Semi Mechanized Method) in an area of 1.20 ha. for production capacity of 25000 cum per annum at Khasra No. 321/1, 321/3, 322, 323 at Village - Nachanwara, Tehsil - Tikamgarh, Dist. Tikamgarh (MP) by Shri Ashish Tripathi S/o Shri D.K.Tripathi, R/o, Village - Kundeshwar, Tehsil & Dist. Tikamgarh, MP – 472001 Regarding Transfer of EC in the name of Shri Ashutosh Crusher & Projects Private Limited, Director Shri Rakesh Dikshit Add: Bank Colony Tikamgarh, District- Tikamgarh (M.P.)

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत किये गये :–

1. पूर्व परियोजना प्रस्तावक का अनापत्ति, नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति ।
2. नवीन परियोजना प्रस्तावक का नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति ।
3. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांरण आदेश की प्रति।
4. एसईआईएए द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति ।
5. पूर्व पर्यावरण स्वीकृति का अनुपालन प्रतिवेदन की प्रति ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा–11) के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेजों के परीक्षण एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि Prior Environmental Clearance for Stone Quarry (Opencast Semi Mechanized Method) in an area of 1.20 ha. for production capacity of 25000 cum per annum at Khasra No. 321/1, 321/3, 322, 323 at Village - Nachanwara, Tehsil - Tikamgarh, Dist. Tikamgarh (MP) by Shri Ashish Tripathi S/o Shri D.K.Tripathi, R/o, Village - Kundeshwar, Tehsil & Dist. Tikamgarh, MP – 472001 Regarding Transfer of EC in the name of Shri Ashutosh Crusher & Projects Private Limited, Director Shri Rakesh Dikshit Add: Bank Colony Tikamgarh, District- Tikamgarh (M.P.) **के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तो के साथ हस्तांतरित किया जाता है :–**

I. **उपरोक्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 24.03.2021 में निहित विशिष्ट एवं साधारण समस्त शर्ते यथावत रहेगी तथा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला टीकमगढ आदेश क. 2286 दिनांक 07.10.2024 के अनुसार वैधता दिनांक 11.11.2030 तक वैध मान्य रहेगी।**

II. **नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त विशिष्ट एवं साधारण शर्तो अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना 2006 एवं कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 14.06.2022 में निर्धारित प्रावधान एवं प्रक्रिया अनुसार शर्तो का छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से परिवेश पोर्टल अपलोड किया जाये एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी प्रेषित किया जाये।**

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

III. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी—एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

तदानुसार सर्वसंबंधितो को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

14. **Case No 7858/2020** Prior Environmental Clearance for Stone Quarry (Opencast Manual / Semi Mechanized Method) in an area of 4.0 ha. for production capacity of 45671 cum / year at Khasra No. 315 at Village - Pathari, Tehsil - Orchha, Dist. Niwari (MP) by Shri Subhash Chandra Omhare S/o Ramprasad Omhare, Village - 648/32/A, Civil Lines, Dist. Jhansi, UP Regarding Transfer of EC in the name of Atacms India Project Private Limited, 19/100, Gowaltoli, Hamirpur, Uttar Pradesh

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु 01 वर्ष के पश्चात् आवेदन किया गया है। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 03.11.2023 एवं 19.02.2025 के परिपालन में प्रकरण परीक्षण एवं अभिमत हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

15. **Case No. 2813/2015**, Prior Environmental Clearance for Pichla Laterite Mine (Open cast mechanized method) in an area of 14.20 ha. for production capacity - 2,00,000 TPA, at Khasra no.- 1471 at Vill.-Pichla, Teh.-Shamgarh, District-Mandsaur (MP) by Shri Sagar Raj Gurjar C/o Jai Shri Balaji Mines & Minerals, Govardhan Vilas, Valicha By Pass, Udaipur (Rajasthan) - 313002 Regarding Transfer of EC in the name of P.P. Minerals, Partner Shri Prathviraj Singh Chouhan, R/o- Semlishankar, Tehsil-Shamgarh, District-Mandsaur, M.P- 458883

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत किये गये :–

1. पूर्व परियोजना प्रस्तावक का नोटराईज्ड अनापत्ति की प्रति ।
2. नवीन परियोजना प्रस्तावक का नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति।
3. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांरण की प्रति।
4. एसईआईएए द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति ।
5. पूर्व पर्यावरण स्वीकृति का अनुपालन प्रतिवेदन की प्रति ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा–11) के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेजों के परीक्षण एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि Prior Environmental Clearance for Pichla Laterite Mine (Open cast mechanized method) in an area of 14.20 ha. for production capacity - 2,00,000 TPA, at Khasra no.- 1471 at Vill.-Pichla, Teh.-Shamgarh, District-Mandsaur (MP) by Shri Sagar Raj Gurjar C/o Jai Shri Balaji Mines & Minerals, Govardhan Vilas, Valicha By Pass, Udaipur (Rajasthan) - 313002 Regarding Transfer of EC in the name of P.P. Minerals, Partner Shri Prathviraj Singh Chouhan, R/o- Semlishankar, Tehsil-Shamgarh, District-Mandsaur, M.P के नाम **निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तो के साथ हस्तांतरित किया जाता है :–**

I. **उपरोक्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 15.12.2017 में निहित विशिष्ट एवं साधारण समस्त शर्ते यथावत रहेगी तथा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता खनिज साधन विभाग मंत्रालय का आदेश क. 7145 दिनांक 26.12.2024 के अनुसार वैधता दिनांक 27.09.2048 तक वैध मान्य रहेगी।**

II. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त विशिष्ट एवं साधारण शर्तों अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना 2006 एवं कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 14.06.2022 में निर्धारित प्रावधान एवं प्रक्रिया अनुसार शर्तों का छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से परिवेश पोर्टल अपलोड किया जाये एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी प्रेषित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

III. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

तदानुसार सर्वसंबंधितो को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

16. **Case No. 2146/ 2014** Prior Environment Clearance for approval of proposed Paarwa Stone Mine for production capacity 33333 cum/yr in an area of 3.00 ha. at Village-Paarwa, Tehsil-Rajnagar, District-Chhatarpur (MP) by Smt. Usha Dwivedi W/o Shri Deep Prakash Dwivedi, Sandhya VIhar Colony, Chhatarpur (MP)-471001 Regarding Transfer of EC in the name of Vaishnavi Infra, District Panna, (M.P.)

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण के परीक्षण उपरांत निम्नानुसार पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में प्रकरण कमांक 2149/2014 अंकित किया गया है जबकि आवेदन में समस्त दस्तावेज प्रकरण कमांक 2146/2014 के अपलोड किये गये जिस कारण एजेण्डे में भी प्रकरण कमांक 2149/2014 का टाईटल अंकित हो गया है। अतः प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निरस्त किया जाये। तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

17. **Case No. 2795/2015** - Prior Environmental Clearance for Stone Quarry (Opencast manual/semi mechanized Method) in an area of 3.950 ha. for production capacity of 65000 cum/year at Khasra no. 212 (P) at Village-Gathewara, Tehsil-Chhattarpur, Distt.-Chhattarpur (M.P.) by M/s Parihar Stone Crusher, Partner, Shri Awadhesh Pratap Singh, R/o Sichai Colony, Tehsil-Chhattarpur, Distt.-Chhattarpur (MP) Regarding Transfer of EC in the name of Bandhwesh Singh, Chaubey Colony, Ward No. 31, Chhatarpur (M.P.).

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण **(SEIAA)** द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु **04** वर्ष के पश्चात् आवेदन किया गया है। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक **03.11.2023** एवं **19.02.2025** के परिपालन में प्रकरण परीक्षण एवं अभिमत हेतु **SEAC** को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

18. **Case No. 3258/2015 -** Prior Environmental Clearance for Metal Stone Quarry (Opencast /semi mechanized Method) in an area 1.90 ha. for production capacity 7200 cum/year at Khasra No. 178 at Village-Nitarri, Teh-Sagar, Dist- Sagar (MP) by Ms. Ruchi Pathak D/o Shri Devki Nandan Pathak, Yadav Colony, Khurai, District- Sagar (MP)-470117 Regarding Transfer of EC in the name of Mayank Chaturvedi, Niwasi Indra Ward Maarg Civil Line Sagar (MP).

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु 01 वर्ष के पश्चात् आवेदन किया गया है। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 03.11.2023 एवं 19.02.2025 के परिपालन में प्रकरण परीक्षण एवं अभिमत हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

19. Case No P2/696/24: Prior Environmental Clearance for Jagpur Sand Mine in area of 8.565 Hectare, Khasra No-75 in Village - Jagpur, Tehsil - Waraseoni, District - Balaghat (MP), Maximum Production - 82224 cum per annum by Shri Puran Lakshkar, M/s The M.P State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP) - 462011

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 786 वी बैठक दिनांक 16.04.2025 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

"...... PP stated that the replenishment data has been taken from the DSR. During presentation PP submitted that road bridge is present in South direction at distance of 490 Mtr. So as per EMG-2020 (sand and gravel shall not be extracted to 5 times the span of bridge/public civil structure on upstream side and ten time the span of such bridge on downstream side subjected to minimum 250 mtr. on upstream and 500 mtr on downstream side).so no mineable area is left for mining after giving setback. which is not economic viable.

Hence in the light of above the committee decided the case is not recommended as per Enviornmental Aspects for the grant of prior Enviormnetal clearence......"

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय संवेदनशीलता एवं SEAC की 786 वी बैठक दिनांक 16.04.2025 की गई अनुशंसा को मान्य करते हुये प्रकरण निरस्त किया जाता है। तदनुसार सर्वसंबधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

20. **Case No P2/683/2024: Prior Environmental Clearance for Sand Mine in an area of 15.43 Hectare (As per SEAC mineable area – 9.258 ha), Khasra No.- 529/1 at Village - Mundesara, Tehsil - Kirnapur, District - Balaghat (MP), Maximum Production – 1,01,838 cum per annum by Shri Puran Lakshkar, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District - Bhopal (MP) – 462011.**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 786वी बैठक दिनांक 16.04.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में **विस्तृत चर्चा** एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना **प्रस्तावक द्वारा प्रकरण में 3 वर्ष की Replenishment Study Report** प्रस्तुत नहीं की गई है जो कि **SEAC को परीक्षण के दौरान ही प्राप्त किया जाना था।** अतः उपरोक्त के दृष्टिगत **प्रकरण** पुनः **परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार** परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

<u>अंत में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।</u>

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष